भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2638

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

19 फाल्गुन, 1942 (शक)

आधार कार्ड का दुरुपयोग

2638. श्री जुगल किशोर शर्मा :
श्रीमती गीता कोडा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधार कार्ड का दुरुपयोग करके बैंक खातों से अनधिकृत रूप से धन निकालने की सूचित घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : आधारकार्ड का प्रयोग कर किए गए वित्तीय लेनदेन केवल बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट के उपयोग के जरिए किए गए अधिप्रमाणन के साथ ही किए जा सकते हैं और इसीलिए यह लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका है। तथापि, आधार संख्या और बायोमीट्रिक्स की गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में ग्राहक की जागरूकता वित्तीय लेनदेनों के लिए महत्वपूर्ण है।

(ख) : डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा के विषय में ग्राहकों के सूचनार्थ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और बैंकों द्वारा विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों में ग्राहक जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं। रिजर्व बैंक अपने ई-बात कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता में सुधार करने के लिए उपाय करते हैं और पिन, ओटीपी, पासवर्ड इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण निजी सूचना को साझा न करने से रोकने के लिए डिजिटल भुगतान माध्यमों के सुरक्षित उपयोग पर कैंपेन आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतानों के सुरक्षित और संरक्षित उपयोग पर अपने प्रयाक्ताओं को शिक्षित करने के लिए प्रिंट और विजुअल मीडिया इत्यादि में एसएमएस, विज्ञापनों के जरिए लक्षित बहु-भाषिक अभियानों को संचालित करने के लिए सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रचालकों और भागीदारों को भी सलाह दी है।

(ग) : आधार कार्डों का प्रयोग कर किए गए लेनदेन, टू-फैक्टर (आधार नंबर और बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट) अधिप्रमाणित हैं, जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा अधिदेशित किया गया है।

*****